आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/3/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 40/2013** **सोनावली देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0 25689/2013 सुनौली देवी बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 5.2.2014 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2427 दिनांक 16.7.13 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, पानापुर के द्वारा दिनांक 12.4.13 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्रीमति सोनावली देवी, अनुज्ञप्ति सं0 84/07, पंचायत–इसुआपुर, प्रखंड–इसुआपुर, जिला–सारण के व्यापार स्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के कम में निम्नांकित अनियमितताएँ पाई गयी थी– 1. दुकान बंद पाया गया। विक्रेता बिना सूचना के अनुपस्थित थी। 2. सूचनापट्ट अपठनीय था। 3. विक्रेता द्वारा माह मार्च 2013 के विरूद्व निर्धारित 3 लीटर किरासन तेल की जगह 2.50 लीटर किरासन तेल देकर निर्धारित दर से ज्यादा रूपया लिया जाता है। 4. विक्रेता द्वारा माह दिसम्बर 2012 के किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया है तथा माह जनवरी 2013 के किरासन तेल देकर माह फरवरी 2013 का कूपन फाड़ लिया गया है। 5. विक्रेता द्वारा माह नवम्बर, दिसम्बर 2012 जनवरी एवं फरवरी 2013 का अन्त्योदय/बी.पी.एल. का गेहूँ चावल वितरण नहीं किया गया है। उपरोक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के द्वारा विक्रेता	

से कारणपृच्छा की मॉग की गयी थी। विकेता से प्राप्त कारणपृच्छा पर संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी से मन्तव्य की मॉग की गयी थी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी द्वारा विकेता के कारणपृच्छा को मनगढ़ंत, सत्य से परे एवं असंतोषजनक बताया गया। संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी से प्राप्त मन्तव्य के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा–सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उक्त विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 12.4.13 को भंडार की स्थिति शून्य थी तथा पड़ोस में संबंधी के यहॉ वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अपराह्न 1.00 बजे के बाद विकेता चली गयी थी जिससे दुकान बंद पाया गया था। यह भी बतलाया गया कि दुकान के बाहर टंगा हुआ स्थायी सूचनापट्ट स्पष्ट रूप से पेंट से सभी आवश्यक सूचना अंकित था, ऐसी स्थिति में सूचनापट्ट के अपठनीय होने का प्रश्न ही नहीं है। यह भी बतलाया गया कि माह मार्च में निर्धारित तीन लीटर किरासन तेल की जगह 2.50 लीटर किरासन तेल देकर निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य लेने की शिकायत पर बताया गया कि किरासन तेल का वितरण पंचायत स्तरीय निगरानी समिति के द्वारा देख–रेख में किया जाता है तथा वितरण के पश्चात् उनके द्वारा वितरण पंजी पर वितरण प्रमाण पत्र अंकित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। यह भी बतलाया कि माह दिसम्बर के किरासन तेल का वितरण नहीं करने तथा माह फरवरी का कूपन फाड़ लेने का आरोप सर्वथा गलत है। माह नवम्बर 2012 से फरवरी 2012 तक खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि कूपन योजना के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पिछले माह का कूपन प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्यालय के द्वारा अगले माह का आवंटन दिया जाता है। यदि विकेता के द्वारा पूर्व माह में वितरण पर एवं कूपन प्राप्त कर कार्यालय को हस्तगत नहीं कराया जाता, तो उन्हें कार्यालय के द्वारा अन्त्योदय एव बी.पी.एल योजना के अंतर्गत अगला आवंटन कैसे निर्गत किया जाता। अपीलकर्त्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा अभिलेख में संधारित कागजातों का परिसीलन किया। जॉच की तिथि को जॉच पदाधिकारी के द्वारा जॉच का समय 11.30 बजे पूर्वाह्न अंकित किया गया है, जिससे विक्रेता के द्वारा अपने जवाब में 1.00 बजे अपराह्न के बाद दुकान बंद करने की बात गलत पायी जाती है। जहॉ तक मार्च में निर्धारित तीन लीटर किरासन तेल का वितरण निर्धारित दर पर किए जाने का प्रश्न है, उस बिन्दु पर जॉच पदाधिकारी के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ संलग्न उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट होता है कि दुकान से सम्बद्व उपभोक्ता श्री योगेन्द्र मांझी, पिता–स्व0 सुखीत मांझी कूपन सं0 0080342, गणेश साह, पिता–स्व0 नथुनी साह, कूपन सं0 0422004 एवं विनोद साह, पिता–कपील साह, कूपन सं0–0231831 के द्वारा विक्रेता के विरूद्व मार्च में तीन लीटर के बदले 2.50 लीटर किरासन तेल की आपूर्त्ति कर निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य लेने की शिकायत की गयी है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कारणपृच्छा के अवलोकन से उक्त उपभोक्ताओं के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं होता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विगत तीन माह के भंडार एवं वितरण पंजी मॉग किए जाने के बावजूद विक्रेता के द्वारा केवल दो माह का भंडार एवं वितरण पंजी की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रेता के द्वारा रोस्टर के अनुसार किरासन तेल का उठाव नहीं किया गया है और न ही निर्धारित तिथि के अंदर कूपन ही जमा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञाप पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2427 दिनांक 16.7.13 के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एक मुखर आदेश है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 638 / न्यायालय, दिनांक 24/5/2014

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा को संबंधित LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। / NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
प्रभारी जिला विधि शाखा
24/5/14 सारण, छपरा।